| | |
|---|---|
| 22/12/23 | C.No.217/2020 श्रीमोहन V/s हरदीन<br>पत्रावली पेश हुई वकील वादी अनुपस्थित। वादीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। वकील वादी को शाम 6:00 PM तक रुक कर तीन बार आवाज लगाई गई किन्तु वे अनुपस्थित है। अतः वादी का वाद खारिज किया जाता है। पर अदम हाजरी अदम पैरवी मे खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नस्ती की जावे। |

Signature Not Verified
Digitally signed by Nisha Sahakari
Date: 2024.05.22 10:58:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
अंराई (अजमेर)